संख्या-44/2015/625/एक-4-15-243बी-4/15

प्रेषक,

शम्भू दयाल त्रिपाठी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद, उ0 प्र0,
लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-4 **लखनऊ दिनांक 08 दिसम्बर , 2015**

विषय:- वित्तीय वर्ष 2015-16 में लेखपाल प्रशिक्षण विद्यालय एवं छात्रावास बिजनौर के निर्माण कार्य हेतु अवशेष धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लेखपाल प्रशिक्षण विद्यालय एवं छात्रावास बिजनौर के निर्माण कार्य हेतु शासनादेश संख्या-344(1)/1-4-2007, दिनांक-28-03-2007 द्वारा रूपया 353.97 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए रूपया 175.03 लाख अवमुक्त की गयी। तत्पश्चात शासनादेश संख्या-111/1-4-11-26बी-4/99 दिनांक-05-04-2011 द्वारा रूपया-178.94 लाख स्वीकृत की गयी। निर्माण कार्य की लागत बढने के फलस्वरूप मूल्यांकन रचना प्रभाग द्वारा पुनरीक्षित आगणन रू0-525.49 लाख के दृष्टिगत शासनादेश संख्या-190/1-4-13-102बी-2001 दिनांक-22-2-2013 पुनरीक्षित लागत रू0-525.49 लाख (रूपया पाच करोड पच्चीस लाख उन्चास हजार मात्र) की धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 09 जुलाई, 2012 के प्रस्तर-2 के उप प्रस्तर-(2)(ख)(4)(11) के अनुसार प्रश्नगत प्रयोजना की लागत का 05 प्रतिशत छोडते हुए तृतीय किश्त के रूप में रूपया-145.24 लाख (रूपया एक करोड पैंतालिस लाख चौबीस हजार मात्र) की धनराशि निर्गत की गयी थी। शासनादेश दिनांक 22-02-2013 के प्रस्तर-2 में उल्लिखित शर्तो के अनुसार आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिष्द उ0प्र0 लखनऊ द्वारा लेखपाल प्रशिक्षण विद्यालय एवं छात्रावास बिजनौर के निर्माण से संबंधित गुणवत्ता एवं सम्परीक्षित विस्तृत लेखा जोखा (जिलाधिकारी से प्रति हस्ताक्षरित)उपलब्ध कराये जाने पर लेखपाल प्रशिक्षण विद्यालय एवं छात्रावास बिजनौर के निर्माण कार्य से संबंधित परियोजना की लागत की अवशेष धनराशि 05 प्रतिशत की धनराशि रू0-26.28 लाख (रूपया छब्बीस लाख अठ्ठईस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-440/1-4-15-102बी-4/2001, दिनांक 24 मार्च, 2015 द्वारा निर्गत की गयी । परियोजना में कतिपय नवीन कार्यों का प्राविधान होने के कारण लेखपाल प्रशिक्षण विद्यालय एवं छात्रावास बिजनौर के निर्माण कार्य हेतु पुनरीक्षित लागत रूपया -547.31 लाख (रूपया-पांच करोड् सैंतालिस लाख इक्तीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश सं0 -43/2015/625/एक-4-2015-243 बी-4/2015 दिनांक-20 नवम्बर 2015 द्वारा निर्गत की गयी है तथा उक्त कार्य हेतु पुनरीक्षित लागत रू0-547.31 लाख के सापेक्ष अवशेष अन्तर की धनराशि रू0-21;82 लाख (इक्कीस लाख बयासी हजार मात्र) की धनराशि श्री राज्यपाल महोदय निम्न लिखित शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

--2--

http://shasanadesh.up.nic.in

(1) अवमुक्त धनराशि उसी मद पर व्यय की जायेगी जिसके लिए स्वीकृत की गयी है और इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा, परीयोजना/योजना पर किये जाने वाला व्यय स्वीकृत धनराशि तक ही सीमित रखा जायेगा।

(2) स्वीकृत कार्य का प्रारम्भ करने के लिए अधिकृत कार्यदायी संस्था को शीघ्र कार्य-आदेश निर्गत किया जायेगा, जिसके साथ अनुमोदित आगणन (प्रतिलिपि संलग्न) की एक प्रति कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करा दी जायेगी।

(3) कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उसी कार्य के लिए पूर्व में किसी अन्य योजनान्तर्गत/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही ये कार्य किसी अन्य कार्यक्रम की कार्य-योजना में सम्मिलित है।

(4) कार्य निर्धारित विशिष्टियों तथा मानकों के अनुरूप गुण्वत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करते हुए समयबद्ध ढंग से पूरी की जायेगी।

(5) अवमुक्त धनराशि का पूर्ण उपयोग समयबद्ध ढंग से एवं विलम्बतम दिनांक 31-03-2016 तक कर लिया जायेगा। अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष व्यय कार्य की भौतिक प्रगति के विवरण प्रत्येक माह की 07 तारीख तक राजस्व विभाग को उपलब्ध कराये जायेगें। इसके अतिरिक्त कार्य हेतु राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यता कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात तीन माह में अर्थात 30 जून 2016 तक स्वीक़त धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापि विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

(6) प्रश्नगत परियोजना प्रस्ताव में 7816.50 घ0मी0 मिट्टी भराई की लागत रू0 18.59लाख प्रस्तावित की गयी है, परन्तु इस संबंध में जिलाधिकारी द्वारा गठित कमेटी की संस्तुति उपलब्ध नहीं करायी गयी है,जिसके कारण प्रभाग द्वारा इस मद में दिनांक 30-11-2009 को व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित लागत रू0 1076लाख को ही अनुमन्य किया गया है। अवशेष मिट्टी की लागत के संबंध में पूर्व में दिये गये दिशा निर्देशों के आधार पर सुसंगत नियमों का पालन करते हुये राजस्व विभाग संपूर्ण कार्यवाही करेंगे, तदोपरान्त प्रथक रूप से जिलाधिकारी कमेटी से मिट्टी भराई हेतु प्राविधानित धनराशि का परीक्षण परियोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग से कराकर लोकनिर्माण विभाग के मुख्य अभियन्ता(भवन)(सदस्य, व्यय वित्त समिति) का अनुमोदन प्राप्त करेंगे। मिट्टी भराई पर व्यय होने वाली उक्त धनराशि की सीमा तक प्रयोजना की लागत बढी हुई मानी जायेगी। उपरोक्तानुसार निर्धारित मिट्टी भराई मद में अपेक्षित धनराशि के फलस्वरूप बढी हुई लागत को अनुमन्य किया जायेगा।

(7) राजस्व परिषद द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक आपत्तियां एवं पर्यावरण क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(8) परियोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकता अनुरूप राजस्व परिषद द्वारा स्थानिय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथारिटी स्वीकृत कराया जाय।

(9) कार्य की विशिष्टियां तथा मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी राजस्व परिषद की होगी।

http://shasanadesh.up.nic.in

(10) स्वीक़त धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर /पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।
(11) परियोजना की लागत में टाइम रन /कास्ट ओवर रन न हो। अत इस संबंध में शासन द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर -212 (vii) में दिये गये दिशा निर्देशों का कडाई से अनुपालन किया जायेगा। प्रश्नगत परियोजना हेतु पुनरीक्षित लागत स्वीक़त नहीं की जायेगी।
(12) लेबर सेस के भुगतान की कार्यवाही नियमानुसार सुनिश्चित की जायेगी।
(13) शेष शर्ते मूल शासनादेश के अनुसार यथावत रहेंगी।
(2) उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या -50 लेखाशीर्षक-4059-लोकनिर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय आयोजनागत-01-कार्यालय भवन-051-निर्माण-54-लेखपाल प्रशिक्षण विद्यालय की स्थापना -24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।
(3) यह शासनादेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-2/2015/बी-1-925/दस -2015-231/2015 दिनांक-30मार्च 2015 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के तहत जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(शम्भू दयाल त्रिपाठी)
विशेष सचिव ।

<u>संख्या-44/2015/625(1)एक-4-15-तददिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -:

1- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- जिलाधिकारी बिजनौर ।
4- संबंधित कोषाधिकारी ।
5- संबंधित कार्यदायी संस्था ।
6- मण्डलायुक्त मुरादाबाद मण्डल मुरादाबाद।
7- अपर भूमि व्यवस्था आयुक्त (लेखा) राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
8- वित्त (आय व्ययक)अनुभाग-1 व 2
9- वित्त (व्यय नियंत्रण)अनुभाग-5
10- राजस्व-6/नियोजन अनुभाग-4
11- गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(बीरबल सिंह)
उप सचिव ।

http://shasanadesh.up.nic.in